कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर (छ0ग0)
(जिला खनिज संस्थान न्यास प्रकोष्ठ)

विज्ञापन

जिला खनिज संस्थान न्यास के अन्तर्गत प्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामों की कार्ययोजना निर्माण के लिये अभिरूची प्रस्ताव

बस्तर जिले में जिला खनीज संस्थान न्यास के अन्तर्गत ग्रामों की सहभागी कार्ययोजना निर्माण की जानी है। कार्ययोजना निर्माण के लिये अनुभवी गैर सरकारी संस्थाएं, स्वैच्छिक संस्थाएं, फर्म से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

1. प्रस्ताव के लिये पात्रता
   - शासकीय कार्यक्रमों योजनाओं की कार्ययोजना निर्माण करने का कम से कम 05 वर्षो का अनुभव होना चाहिये ।
   - पिछले 03 वर्षो का औसतन वार्षिक आय–व्यय 300.00 लाख से अधिक होना चाहिये।
   - छत्तीसगढ़ में कार्य करने का अनुभव कम से कम 05 वर्षो का होना चाहिये।
   - आयकर प्राधिकीकरण एवं अन्य सम्बन्धित निकायों में संस्था पंजीकृत होना चाहिये।

2. तकनीकी प्रस्ताव
   - संस्था के वैधानिक पंजीयन के साक्ष्य।
   - संस्था के आय–व्यय के साक्ष्य जैसे ऑडिट रिपोर्ट, आदि।
   - अनुभवों का विस्तृत ब्यौरा।
   - कार्ययोजना निर्माण की पद्धति एवं प्रक्रियां।
   - टीम/टीम लीडर की योग्यता एवं अनुभव विवरण : CV

3. वित्तीय प्रस्ताव
   - जिले की पांच वर्षो की कार्ययोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित राशि।

4. अन्य विवरण
   - कन्सलटेंट/संस्था का पिछले तीन वर्षो का आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
   - कन्सलटेंट/संस्था को शासकीय/अर्द्वशासकीय संस्थाओं एवं स्वतंत्र रूप से संपादित कार्यो के उपरोक्तानुसार क्षेत्रों में अब तक किये गये कार्यो के दस्तावेज/प्रमाणक प्रस्तुत करने होगें।

- कन्सलटेंट/संस्था को भारत सरकार के किसी विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला होना चाहिए।

5. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रियां

- निम्नलिखित पत्ते पर दिनांक 15/11/2017 शाम 17.00 बजे तक पंजीकृत डॉक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर, एवं सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0 जगदलपुर (छ0ग0) के नाम से प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।
- तकनिकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव अलग अलग बन्द लिफाफे में प्राप्त किये जायेंगे जिसके लिये लिफाफे के उपर ही लिखना अनिवार्य है कि

  अ. "कार्ययोजना निर्माण हेतु तकनीकी प्रस्ताव"

  ब. "कार्ययोजना निर्माण हेतु वित्तीय प्रस्ताव"

- प्रस्ताव के साथ 15,000.00 रूपयों की अनामत राशि देय होगी जो कि कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्याय, के नाम से डीडी तैयार की जायेगी।
- कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर प्रस्ताव स्वीकार्य नही किये जायेगें।
- जिनके प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जायेगें उनकी अमानत राशि वापस कर दी जावेगी।

6. मूल्यांकन प्रणाली

पात्रता प्राप्त करने वाले प्रस्तावों को मूल्यांकन समिति के द्वारा 03 चरणों में निम्नानुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

चरण 01 : अनुभव एवं साक्ष्यों का मूल्यांकन

सूचकांक	अंक	अधिकतम् अंक
पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 05 वर्षो का अनुभव	5	15
पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 10 वर्षो का अनुभव	10	
पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 15 वर्षो का अनुभव	15	
किसी भी विभाग या अन्य एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसार सहभागी नियोजन में संस्था का 10 वर्षो का अनुभव तथा पिछले गत वर्ष भी कार्य किया गया हो।	5	10
किसी भी विभाग या अन्य एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसार सहभागी नियोजन में संस्था का 05 वर्षो से अधिक का अनुभव होने पर	5	
पिछले 10 वर्षो से छत्तीसगढ़ में कार्यानुभव के साक्ष्य	10	10
टीम लीडर की CV जिसमें 05 वर्षो के कार्ययोजना निर्माण के अनुभव स्पष्ट हो	5	5
पिछले 03 वर्षो का औसतन वार्षिक आय–व्यय 300.00 लाख से अधिक	10	10
कुल अंक		50

चरण 02 : प्रस्तुतिकरण

प्रथम मूल्यांकन में 30 अंक प्राप्तकर्ता संस्था को प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रस्तुतिकरण के लिये अधिकतम् 25 अंक निर्धारित किये गये है जिसके अनुसार समीक्षा की जायेगी।

चरण 03 : वित्तीय प्रस्ताव की समीक्षा

प्रस्तुतिकरण में 15 से अधिक अंक प्राप्तकर्ता संस्थाओं के वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा की जायेगी ।

चयनित संस्था के द्वारा कार्य नहीं करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में किसी भी प्रकार की संशय उत्पन्न होता है तो द्वितीय स्थान पर रहने वाली संस्था को कार्य देने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा विचार किया जा सकेगा।

आवेदनों को गुण–दोषों के आधार पर स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।

28/10/17

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला खनिज संस्थान न्यास,
जिला बस्तर (छ0ग0)